



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2000/भाद्र 30, 1922

No. 210]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2000/BHADRA 30, 1922

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(संकल्प)

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2000

सं. 12011/44/99-बी.सी.सी.— भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण) मंत्रालय के अ.सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरो जाने वाली सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां आरक्षित की हैं।

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के उपबंध के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के केन्द्रीय सूची में शामिल करने तथा कम शामिल करने के लिए अनुरोधों को प्राप्त करने, जांचने और उनकी सिफारिश करने के लिए की गई।

3. इस संबंध में 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सूचियों को कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं. 12011/68/93-बी.सी.सी. (सं. 1) दिनांक 10 सितम्बर, 1993, सं. 12011/9/94-बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर, 1994, सं. 12011/7/95-बी.सी.सी. दिनांक 4 मई, 1995, सं. 12011/96/94-बी.सी.सी. दिनांक 11 मार्च, 1996 के तहत जारी किया गया। उपर्युक्त सूचियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश आधार पर संशोधित किया गया था और समय-समय पर संकल्प सं. 12011/96/94-बी.सी.सी. दिनांक 9 मार्च, 1996, सं. 12011/44/99-बी.सी.सी. दिनांक 6 दिसम्बर, 1996, सं. 12011/13/97-बी.सी.सी. दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 तथा सं. 12011/68/98-बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर, 1999, सं. 12011/88/99-बी.सी.सी. दिनांक 6 दिसम्बर, 1999, सं. 12011/36/99-बी.सी.सी. दिनांक 4 अप्रैल, 2000 के तहत जारी की गई है।

4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने/संशोधन करने के लिए जातियों/समुदायों (उपजातियों/पर्यायों सहित) के नामों की सिफारिश की है।

5. सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में अनुबंध में दिए गए अंतर्वेशनों/संशोधनों को अधिसूचित करने का निर्णय किया है। ये अंतर्वेशन/संशोधन इस संकल्प के जारी की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

गौरी चटर्जी, सचिव

27/6/17

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में समावेश/संशोधन

1. आन्ध्र प्रदेश
2. गोवा
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. कर्नाटक
6. मध्य प्रदेश
7. उड़ीसा
8. पांडिचेरी
9. राजस्थान
10. तमिलनाडु
11. उत्तर प्रदेश
12. पश्चिम बंगाल

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप-जातियों/पर्यायों सहित) के नाम।

क्र. सं.	राज्य का नाम	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आन्ध्र प्रदेश	15. नाई-ब्राह्मिन (मंगली)	नाई-ब्राह्मिन (मंगली) मंगला, बजंतरी, 104 अ. गोपालपुरम, कोयालागुडे, छगलुमंडल पश्चिम गोदा देवीपत्तनम और कोरुगोण जिले के लिए
2.	गोवा	शून्य	15 कलैकार
3.	गुजरात	शून्य	81 सश्वारा
4.	हरियाणा	15 चिंबा या छिंबा छिपी, छिम्पा, दरजी 27 गदरिया 30 झंगरा-ब्रह्मन, झंगरा ब्राह्मन या जंगिर ब्रह्मन खाती, रमगरिया 31 जोगोनाथ 40 लुहार या लोहार सैफी 54 सुनार	15 चिंबा या छिंबा, छीपी, रोहिला 27 गदरिया, पाल 30 झंगरा-ब्रह्मन या जंगरा- जंगिद ब्रह्मन खाती, रमगा तरखान, बारहई, बड्डी 31 जोगी, नाथ, जंगम, जो 40 लोहार या लुहार सैफी पंचाल 54 सुनार, जरगर, सोनी
5.	कर्नाटक	146 उपारा, उपेरा लिनयायत उपारा/सुन्नागारा, उपलियान बेलदार, शंगारा, चुनार गावांडी, गोवांडी मेलुशक्कारे	146 उपारा, उपार, उपेरा लि सुन्नागारा उपलियान, बेलदा गोवांडी, गावाडी कल्लुकुकि मेलुशक्कार्यावरु, नमदा उप सुन्नगारा, पडित/पडती, उप सागर, सगारा, केरेवंडीयाव

(1)	(2)	(3)	(4)
		159 नेगी, लिंगायतनेगी/नेकार/नेगी, कुरुसिनासेटी लुंगायत कुरुसिनासेटी बिलिमग्गा, लिंगायत बिलिमग्गा, थोगटा, सोनिगा, जमखाना अईरी, अवरि, साले कैलकोलन, नीकार, जदर, लिंगायतजदरू, शकूलासाले	159 नेगी, पट्टसाले, लिंगायतनेगी/नेकार/नेगी लुंगायत कुरुसिनोसेटी, बिलिमग्गा, लिंगायत बिलिमग्गा, थोगटा, सोनिगा, जमखाना, अयीरी, अबीर साले, पदमासाले, शाले, कैलकोलन, नीकार, जदर, लिंगायत जदरू, शकुलासाले
		163 नईदा, लिंगायत नईदा, नयानजा-क्षत्रिया नयानजा-क्षत्रिय, हज्जाम/हज्जम, नावी, नाडिग अंबटन, मंगला, केलासी क्षोवार्ड, क्षोवारिक/क्षौरिका/क्षौवारिका, चौरिया, नवालिंगा/नवालिंगारा/नावी नपीथा, भंडारी, लिंगायत भंडारी, लिंगायतवजंतरी, लिंगायत हदापदा	163 नईदा, लिंगायतनईदा, नयानजा-क्षत्रिया, नयानजा-क्षत्रिय, हज्जाम/हज्जम, नावी, नाडिग अंबटन, मंगला, किलासी क्षोवार्ड, क्षोवारिक/क्षौरिका/क्षौवारिका, चौरिया, नवालिंगा/नवालिंगारा/नावी नपीथा, सविथा, भंडारी, बंडारी, लिंगायत भंडारी, वजंतरी/भजन्तरी, लिंगायत बजंजत्री महाले, हदापदा, लिंगायत हदापदा, मंलागरा, परियाला
		शून्य	170 सोमावंशा आर्य क्षत्रिय ताम्बद नालाबुंद, चित्रागार
		शून्य	171 पिंजारा पिंजारी नादफ लदफ, मंसूरी डुडेकुला
		शून्य	182 कुम्वरी मराठा (उत्तरी कन्नड जिले से संबंधित)
		शून्य	183 कुलवाडी (सुद्रा) मराठी (उत्तर कन्नड जिले से संबंधित)
6.	मध्य प्रदेश	59(18) बंजरा	59(18) बंजारा, मुकेरी माकराना
7.	उड़ीसा	103 माली, फुलिया, साभवारिया, भाजेमाली,	103 माली, फुलिया, साभवारिया, भाजेमाली, मुनी, राउला (केवल गंजाम जिले का राउला)
		शून्य	194 कालांदी बाइशानबा/कालांडी बाइशनाब
8.	पाण्डिचेरी	148 नादर	148 नादर (ईसाई नादर को शामिल)
		शून्य	261 नामदेव मराठा
9.	राजस्थान	शून्य	63. कालवी
		शून्य	64. भटियारा
		शून्य	65. राय-सिख
10.	तमिलनाडु	123 पुल्लुवार या पोलुवार	123 पुल्लुवार या पालुवार, पोलूवा गाउंडर
		शून्य	179 काल्लर कुला थुंडामन
11.	उत्तर प्रदेश	शून्य	74 राय सिख (महात्म)
12.	पश्चिम बंगाल	शून्य	52 ईसाई तथा उनकी संतान को अनुमूर्च्छित जाति में परिवर्तित करना।
		शून्य	53 रायीन कुन्जरा
			54 हेला/हलाई/चामी-क्यारता, धाय क्राइयारता

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 21st September, 2000

No. 12011/44/99-BCC.— The Government of India, vide the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Deptt. of Personnel and Training) OM. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated the 8th September, 1993 have reserved 2 % of vacancies in Civil Posts and Services under the Central Government, to be filled through direct recruitment in favour of the Other Backward Classes (OBCs).

2. The National Commission for Backward Classes (NCBC) was set up as per the provisions of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 to entertain, examine and recommend upon the requests for inclusion and complaints of over inclusion and under inclusion in the Central List of Other Backward Classes.

3. The Common Central List of Other Backward Classes in respect of 26 States/UTs were notified vide Ministry of Welfare Resolution No.12011/68/93-BCC (c) dated the 10th September, 1993. No.12011/96/94-BCC dated the 19th October, 1994, No. 12011/7/95-BCC dated the 24th May, 1995, No.12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997. The said lists were modified on the basis of the recommendations of the National Commission for Backward Classes and notified from time to time vide resolutions No.12011/96/94-BCC dated the 9th March, 1996, No.12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996, No.12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997, No.12011/68/98-BCC dated 27th October, 1999, No.12011/88/99-BCC dated 6th December, 1999 and No.12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000.

4. The National Commission for Backward Classes have subsequently recommended Castes/communities (including sub-Castes/synonyms) for inclusion/amendment in the Central List of OBCs in respect of Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa, Pondicherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal.

5. The Government have considered and accepted the recommendations of the Commission. Accordingly the inclusions/amendments in the Central List of OBCs in respect of aforesaid State/UTs as given in the annexure is hereby notified. These inclusions/amendments shall take effect from the date of issue of this Resolution.

GAURI CHATTERJEE, Jt. Secy

Annexure

Inclusion/Amendment in the Central List of Other Backward Classes (OBCs) in respect of under-mentioned States/UTs.

1. Andhra pradesh
2. Goa
3. Gujarat
4. Haryana
5. Karnataka
6. Madhya Pradesh
7. Orissa
8. Pondicherry
9. Rajasthan
10. Tamil Nadu
11. Uttar Pradesh
12. West Bengal

S. No.	Name of State	Old Entry	New Entry
1.	Andhra Pradesh	15 Nayi-Brahmin (Mangali) Nil	15 Nayi-Brahmin(Mangali, Mangala, Bhajanth) 104 Atirasa (of Polavaram, Gopalapuram, Koyyalagudem, Buttayagudem, Chagallu Mandals of West Godavari Dist. and Devipattanam, Korukonda and Gokavaram Mandals of East Godavari Dist)
2.	Goa	Nil	15 Kalaikar
3.	Gujarat	Nil	81 Sathwara
4.	Haryana	15 Chimba or Chhimba, Chhipi, Chimpa, Darzi 27 Gadaria, 30 Jhangra-Brahman, Jangra-Brahman or Jangid Brahman, Khati, Ramgarhia 31 Joginath 40 Lohar or Luhar, Saifi.	15 Chimba or Chhimba, Chhipi, Chimpa, Darzi, Rohilla 27 Gadaria, Pal, 30 Jhangra Brahman or Jangra Brahman or Jangid Brahman, Khati, Ramgarhia, Suthar, Dhiman, Tarkhan, Barhai, Baddi 31 Jogi, Nath, Jangam-Jogi, 40 Lohar or Luhar Saifi, Panchal

